न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–75/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. शेरसिंह पुत्र प्रमोली जाति जाट निवासी ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0
..... अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल नवीरा श्योला जाति जाट,
2. शान्ति पत्नी स्व0 सुखपाल जाति जाट,
3. अतरसिंह पुत्र स्व0 सुखपाल जाति जाट,
4. भीमसिंह पुत्र स्व0 सुखपाल जाति जाट
5. विजयसिंह पुत्र स्व0 सुखपाल जाति जाट निवासीयान ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर।
6. सावित्री पुत्री स्व0 सुखपाल पत्नी शिवाराम जाति जाट
7. कलावती पुत्री स्व0 सुखपाल पत्नी कालूराम जाति जाट
8. मुक्ती पुत्री स्व0 सुखपाल पत्नी मनीराम जाति जाट हाल निवासीयान ग्राम मूडिया तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
9. श्रीचन्द पुत्र छाजूराम जाति जाट,
10. बलराम पुत्र श्री छाजूराम जाति जाट,
11. छोटेलाल पुत्र श्री छाजूराम जाति जाट,
12. जगदीश पुत्र श्री ताराचन्द जाति जाट,

.....प्रतिवादीगण/तर0रेस्पो0

13. राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब, रामगढ जिला अलवर
.....तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री राकेश यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री रामनिवास जाट, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण बाबूलाल वगैरा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 239 रकबा 21 ऐयर वाके ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 02 लगायत 03 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 05, 06 का 1/4 हिस्सा शामलात कब्जे काश्त में चला आ रहा है जो आराजी अबट है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी में प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये आराजी मुतनाजा को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकसीम की जावे। तहत अदालत द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी में दिनांक 08.06.2018 को रखते हुये निर्णीत कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि आलोच्य निर्णय से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटान की कोई सम्यक तामील ही नही हुई है क्योंकि उक्त निर्णय में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति तो दर्ज की है किन्तु प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत कोई तथ्य अंकित नही है। जबकि वास्तविकता यह है कि तहत न्यायालय में मिन अपीलांट पर कोई सम्यक रूप से तामील नही हुई।यहां तक कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण की तामील हेतु कोई सम्मन नोटिस तक जारी ही नही किये गये। मूल सम्मन नोटिस आज भी बिना जारीशुदा न्यायालय की पत्रावली में लगे हुये है। तहत न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित किया है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण दोनों की अनुपस्थिति दर्ज की हुई है। जबकि लोक अदालत में दोनों पक्षों की मौजूदगी एवं उनकी सहमति से ही मामले को तय किया जा सकता है और पत्रावली को कैम्प कोर्ट में तभी रखा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो रहा हो। आलोच्य डिक्री दिनांक 08.06.2018 को पारित की गई है जबकि इससे पहले ही वादी संख्या 02 सुखपाल की दिनांक 18.05.2018 को मृत्यु हो गई थी, जिसके वारिसों को भी तहत न्यायालय में कायम मुकाम नही कराया गया, न ही कोई मरम्मत सवाल प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।इसलिये दावा कानूनन अबेट हो गया था। अपीलांट की बहन रामवती को भी मुकदमे में पक्षकार नही बनाया गया जबकि अपीलांट के पिता प्रमोली की रामवती भी एक जायज वारिस है और वादी व प्रतिवादीगण के साथ अन्य शामलात खाते की जमीन का विरासत इंतकाल दर्ज हो चुका है। उक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री अपीलांट के पीठ पीछे से इकतरफा में पारित की गई है। जिसकी अपीलांट को पूर्व में कतई जानकारी तक नही थी।अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2018 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि उक्त निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। नियमानुसार तहसील स्तर पर कैम्प कोर्ट की सूचना जारी की जाती है।वादी, प्रतिवादी सभी लोक अदालत में उपस्थित थे। आपसी सहमति का विभाजन है इसलिये अपील पोषणीय नही है, तहत अदालत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 08.06.2018 का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पेज संख्या 02 के द्वितीय पैरा में अंकित है कि "पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेडी में दिनांक 08.06.2018 को पेश हुई।उभयपक्ष को आवाज दिलाई गई। वादीगण व प्रतिवादीगण अनुपस्थित"। आरबीजे(17) 2010 पेज 396 में एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4813/1996 में भी यही मत व्यक्त किया गया है कि sec 225- "Appellate court has the power to exmine the service of notice" चूंकि इस प्रकरण में अपीलांट को विधिक तामील नही होने से सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। प्रार्थी को उचित तामील ही नही की गई। स्वयं तहत अदालत के आदेश में भी यह अंकित है कि "वादीगण व प्रतिवादीगण अनुपस्थित"।

इस प्रकार प्रकरण में दोनों पक्ष अनुपस्थित हैं। चूंकि पक्षकार को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत नोटिस नही मिला, उभयपक्षकार अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा अपना निर्णय पारित करने में उनकी सहमति का अभाव रहा है। लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जो पक्षकारान की आपसी सहमति अथवा राजीनामा से निस्तारित किये जा सकते हों। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 08.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नये सिरे से विधिक प्रक्रिया के अनुसार गुणावगुण के आधार पर अपना निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर